न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 222/2018

1.हीरालाल पुत्र रामलाल आयु 55 वर्ष
2.ओम प्रकाश पुत्र रामलाल आयु 43 वर्ष
3.श्रीमति सीमा पत्नि श्री ओमप्रकाश 40 वर्ष
समस्त जाति जाट निवासीगण उगानखेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर––

– वादीगण

बनाम

1श्रीमति सोहनी पत्नि स्व0 श्री देवीलाल उम्र 65 वर्ष जाति जाट निवासी उगानखेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2सुशीला पुत्री स्व0 देवीलाल पत्नि श्री किशनलाल उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी बोहरा कॉलोनी केकड़ी तहसील केकडी जिला अजमेर
3.सुमन आयु 35 वर्ष पुत्री श्री देवीलाल पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कोटड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4.सुनिता आयु 38 वर्ष पुत्री स्वर्गीय श्री देवीलाल पत्नि श्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी कोटड़ी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
5.राजाराम आयु 45 वर्ष पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट निवासी उगानखेड़ा तहसील केकड़ी
6.सुरेंश आयु 47 वर्ष पुत्र श्री देवीला जाति जाट निवासी उगानखेड़ा तहसील केकड़ी
7.रामरतन पुत्र श्री बख्तावर
8. तहसीलदार केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर.

––**प्रतिवादीगण**

वादपत्र अंतर्गत धारा 188,53,209 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः– श्री मदन गोपाल चौधरी
श्री मीठू सिंह राठौड़ वकील– वादी
एक्सपार्टी –प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार –प्रतिवादी संख्या 8

निर्णय

दिनांक 11.12..2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वादपत्र बाबत् बँटवारा व पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम सरसड़ी की राजस्व जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नयी–पुरानी 369–338 मे वर्णित भूमि खसरा नंबर 1042 रकबा 2.24 है बा03 तथा खसरा नंबर 1050/1195 रकबा 0.19है0 है यह आराजी सहखातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 08 का मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। वादीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त 2/9 हिस्सा व वादी संख्या 3 का एवं

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

1/36 हिस्सा,वादीगण संख्या 1से 3का संयुक्त 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 का संयुक्त 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा मौके पर नाप चौंप कर सम्भलायी जावे एव राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस मे अलग अलग लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त 2/9 हिस्सा व वादी संख्या 3 के 1/36 हिस्सा अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 3 का कुल 1/4 हिस्सा की खातेदारी की आराजीयात के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे न ही जबरन बेदखल किसी प्रकार से नही करे इस हेतु पाबद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण हकाई बुवाई करते समय वादीगण के हिस्से की मेड़ इत्यादि को तोड़ देते है। वादीगण के हिस्से की आराजीयात मे अवैध कब्जा व लड़ाई झगडे पर उतारू है जिसके कारण वादीगण द्वारा यह वाद पेश किया गया गया था। पक्षकारान् को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर इस वाद का मुताबिक जमाबंदी बॅटवारा किया जाने हेतु स्वीकार कर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्रि दिनांक 26.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया था जिसके तहत तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था कि वे वादग्रस्त आराजी का बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक जमाबंदी मे दर्ज हिस्से व मौका अनुसार बॅटवारा प्रस्ताव तैयार कर मय मौका पर्चा व नक्शा ट्रैस के भिजवाने हेतु निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी जारी की गई थी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक/भू.अ./19/4442 दिनांक 27..02.19के द्वारा बॅटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पक्षकारान् को बंटवारा प्रस्ताव पर सुना गया। वकील वादी को बंटवारा प्रस्ताव स्वीकृत करने मे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2–4 के पूर्व मे एक्सपार्टी की जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 5–7के वकील श्री रविन्द्र चौधरी को भिन्न भिन्न समय पर तीन बार आवाजे दिलवायी गयी किन्तु श्री चौधरी उपस्थित नही हुए। ऐसी स्थिति मे उनकी अनुपस्थिति शुमार की जाकर न्यायालय अंतिम डिकरी जारी किये जाने की तरफ अग्रसर होना उचित समझता है। वकील वादी ने तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बॅटवारा प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की सहमति दी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बॅटवारा किया जाकर पक्षकारान् के अलग अलग खाते कायम किये जावे:–

क्र सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत सकूनात	ख.नं.	रकबा (है0)	किस्म	लगान	राजस्व नक्शे मे दर्शाया रंग
1.	हीरालाल,ओमप्रकाश पि0रामलाल हि0 8/09, हि0ब0 सीमा पत्नि ओमप्रकाश हि.1/9,जाति जाट सा0उगानखेड़ा खातेदार राहिन एस.बी. आई.केकड़ी सीमा पत्नि ओमप्रकाश 1/9	1042/2 1058/1195/2	0.57 0.02	बा.3 बा.3	1.18	हरा
		किता 2	0.59		1.18	
2.	सोहनी पत्नि देवीलाल,राजाराम,सुरेश पि. देवीलाल,सुशीला,सुमन,पुत्रियां देवीलाल हि.बराबर जाति जाट सा.उगानखेड़ा	1042 1050/1195	0.54 0.05	बा.3 बा.3	1.18	लाल
		किता 2	0.59		1.18	
3.	रामरतन पुत्र बख्तावर जाति जाट साकिन उगानखेड़ा खातेदार	1042/2 1058/1195/1	1.13 0.04	बा.3 बा.3	2.36	नीला
		किता 2	1.17		2.36	

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

4	हीरालाल,ओमप्रकाश पि.रामलाल हि.2/3 सीमा पत्नि ओमप्रकाश हि.1/36,सोहनी पत्निदेवीलाल,राजाराम,सुरेश पि.देवीलाल सुशीला,सुमन,सुनीता पुत्रियां देवीलाल हि.1/4,जाति जाट साकिन उगानखेड़ा खातेदार राहिन एस.बी.आई. शाखा केकड़ी सीमा पत्नि ओम प्रकाश हि. 1/36	1050/1195 /3	0.08	बा.3 (गै.मु. रास्ता)	—	बैगनी
		किता 1	0.08			

वादीगण 100रू का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र प्रस्तुत करे तब अंतिम डिकरी उक्तानुसार जारी की जावे। तहसीलदार केकड़ी उक्तानुसार अलग अलग खाते कायम कर राजस्व रेकार्ड व नक्शें ट्रेंस मे अमल दरामद करे तथा आराजी को अलग अलग नाप चौंप कर पत्थर गढ़ी की कार्यवाही नियमानुसर की जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया ।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2019.12.18 18:03:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: